भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 738
दिनांक 04 दिसंबर 2025

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन

†738. **श्री वी. के. श्रीकंदनः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत और पच्चीस लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त योजना के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर की ऊंची कीमत और अन्य कारणों से सिलेंडर को दोबारा नहीं भरवा पा रहे थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों से उक्त योजना के उपयोग के संबंध में इसके प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करने को कहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ख): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला के नाम से बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएमयूवाई के तहत 25 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंज़ूरी दी है, ताकि लंबित आवेदनों को निपटाया जा सके और देश में एलपीजी की संतृप्ति पहुंच को प्राप्त किया जा सके। एलपीजी की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, योग्यता मापदंड को आसान बनाकर "गरीब परिवारों की व्यस्क महिलाएं, जो वंचित्त घोषणा-पत्र जमा करने पर आधारित हों" कर दिया गया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) की निर्धारित राजसहायता शुरु की, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) कर दिया गया।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार अधिकतम प्रति वर्ष 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर के 9 रिफिल तक (5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) के लिए 300/-रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 86% पीएमयूवाई लाभार्थियों ने कम से कम एक रिफिल लिया। इसके अलावा, निष्क्रिय/प्रसुप्त पीएमयूवाई कनेक्शनों की समस्या को हल करने के लिए, मंत्रालय ने जनवरी, 2025 में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इस एसओपी के तहत, तेल विपणन कंपनियों ने कुल 11.7 लाख कनेक्शनों की पहचान की, जिन्होंने प्रतिस्थापन के बाद कोई रिफिल नहीं लिया। नवंबर 2025 तक, ओएमसीज द्वारा पहचाने गए 11.7 लाख कनेक्शन में से, 8.35 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी/आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 5.52 लाख लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने रिफिल लिया है। इसके अलावा, तय प्रक्रिया के बाद, 0.21 लाख कनेक्शन भी बंद कर दिए गए हैं।

(ग) सरकार पीपीएसी/ओएमसीज के माध्यम से रिपोर्ट/एमआईएस/खपत प्रोफाइल के ज़रिए एलपीजी खपत की निगरानी करती है। इसके अलावा, कई स्वतंत्र अध्ययन और रिपोर्ट से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में महिलाओं और परिवारों की ज़िंदगी पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ खास फ़ायदों के बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है:

(i) पीएमयूवाई की वजह से खाना पकाने के पुराने तरीकों में बदलाव आया है, जिसमें लकड़ी, गोबर और कृषि अवशेष जैसे ठोस ईंधन जलाए जाते थे। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घर के अंदर हवा से होने वाला प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन संबंधी स्वास्थय बेहतर होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों में, जो पारंपरिक रूप से घर के धुएं के संपर्क में ज़्यादा आते हैं।

(ii) ग्रामीण इलाकों में, खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले परिवार, अक्सर अपना काफी समय और ऊर्जा खाना पकाने के पुराने ईंधन इकट्ठा करने में लगाते हैं। एलपीजी ने गरीब घरों की महिलाओं की मेहनत और खाना पकाने में लगने वाले समय को कम किया है। इस तरह, उनके पास जो खाली समय होता है, उसका इस्तेमाल कई तरह से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

(iii) बायोमास और पारम्परिक ईंधन से एलपीजी में बदलाव करने से खाना पकाने के लिए लकड़ी और दूसरे बायोमास पर निर्भरता कम होती है, जिससे जंगलों की कटाई और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आती है। इससे न सिर्फ परिवारों को फायदा होता है, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों में भी योगदान मिलता है।

(iv) खाना पकाने की बेहतर सुविधाओं से पोषण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव होता है। परिवारों को अलग-अलग तरह का पौष्टिक खाना बनाना आसान हो सकता है, जिससे समग्र सेहत बेहतर होती है।

*****